भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1589
01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन की गुणवत्ता

1589. श्री प्रमोद तिवारीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न गुणवत्ता वाला इस्पात आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात उत्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अनियंत्रित आयात से इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) इस्पात मंत्रालय के परामर्श से देश में गुणवत्तापूर्ण इस्पात के उत्पादन अथवा उसके बाहर से आयात किए जाने की सुनिश्चितता हेतु कदम उठा रहा है। इस दिशा में, इस्पात मंत्रालय द्वारा 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

(घ) सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बेहतर करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।
iii. केन्द्रीय बजट में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर जोर दिया जाना।
iv. इनपुट लागतों को कम करने के लिए फैरो-निकल और फेरस स्क्रैप आयातों पर मूल सीमा शुल्क में अंशाकन (कैलिब्रेशन) करना।

******